A62

संख्या: 141 /XXXVIII/(बायोटैक –बजट)16–41/2015

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य जैव प्रौद्योगिकी परिषद,
हल्दी, पन्तनगर, उधमसिंह नगर।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभागः **देहरादूनः दिनाँकः 30 मार्च, 2016**

विषयः राज्य जैवप्रौद्योगिकी परिषद को भाऊवाला, देहरादून में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोइन्फारमेटिक्स केन्द्र की स्थापना हेतु पुनर्विनियोग से रू0 260.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या जै0प्रौ0/यू0सी0बी0, हल्दी/2016/300 दिनांक 20.01.2016 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य जैवप्रौद्योगिकी परिषद को भाऊवाला, देहरादून में आंवटित 05 एकड़ भूमि पर सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोइन्फारमेटिक्स केन्द्र की स्थापना हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये आंगणन ₹ 497.31 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 378.39 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कराये जान वाले कार्य हेतु ₹ 98.97 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹ 477.36 के आंगणन पर प्रशासकीय स्वीकृति एंव उक्त कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की व्यवस्था न होने व धनराशि की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता होने के कारण अनुदान संख्या–23 लेखाशीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 60–अन्य 004– अनुसंधान तथा विकास–07– उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् हेतु सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में व्ययवर्तन करते हुये संलग्न बी0एम0–9 में उल्ललिखित विवराणानुसार अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 60–अन्य 004– अनुसंधान तथा विकास–14– बायोटैक्नोलोजी कार्यक्रम हेतु सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता मद में रू0 260.00 लाख (रू0 दो सौ साठ लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्विनियोग के माध्यम से आहरित कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6. स्वीकृति विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xiv–219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने को कष्ट करें तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
8. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व **uttarakhand procurement rules**, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व यथाआवश्यक एम0ओ0यू0 तथा अन्य आवश्यक अनुबंध आदि पूर्ण करा लिए जाए।
9. स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार से आहरित किये जाय, तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2016 तक करते हुए प्रत्येक माह का **बी0एम0–13** शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्यय अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 60–अन्य 004– अनुसंधान तथा विकास–14– बायोटैक्नोलोजी कार्यक्रम हेतु सहायता 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त अनुभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 213P/वित्त अनुभाग–5/2016 दिनांक 30 मार्च, 2015–16 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक–अलोटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

संख्याः 141 /XXXVIII/(बायोटैक –बजट)16–41/2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधान निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
5. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ऊधमसिंह नगर।
8. वित्त अनुभाग–5/वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उपसचिव।